सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-138/MH/29/2021-RO-BH **दिनांक: 20.07.2026**

मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र शासन,
सीएस कार्यालय,मुख्य भवन,
मंत्रालय, 6वीं मंजिल, मैडम कामा रोड,
मुंबई, महाराष्ट्र- 400032
ई-मेल: chiefsecretary@maharashtra.gov.in

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-जलगांव,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
जलगांव-425001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.jalgaon@maharashtra.gov.in

विषय: वर्षो से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बंध में श्री एकनाथ रमेश कोली, गांव-उन्नाण, तहसील-एरंडोल, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र का दिनांक 08.09.2021 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री एकनाथ रमेश कोली,
गांव-उन्नाण, तहसील-एरंडोल,
जिला-जलगांव, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-138/MH/29/2021-RO-BH
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई-I

श्री एकनाथ रमेश कोली, गांव उत्राण (अ.ह.), तहसील एरंडोल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) – वर्षों से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बंध में दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक : 15.06.2026
अध्यक्षता : माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक-I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री एकनाथ रमेश कोली, निवासी ग्राम उत्राण (अ.ह.), तहसील एरंडोल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम उत्राण शिवार, तहसील एरंडोल, जिला जलगांव स्थित गट/सर्वे नं. 39 से 36 की भूमि पर उनका परिवार कई वर्षों से खेती कर आजीविका चला रहा है। याचिकाकर्ता ने उक्त भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन एवं कलेक्टर, जलगांव को दिनांक 10.12.2021 को नोटिस जारी किया गया था। तथापि सुनवाई की तिथि तक किसी भी प्राधिकारी द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई है।

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, जलगाव की ओर से श्री रोहन, ज़िला कलेक्टर उपस्थित हुए तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया। अभ्यावेदक अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारी द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिनांक 09-06-2026 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया है कि प्रकरण संबंधी विस्तृत रिपोर्ट आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन एवं महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 तथा शासन के प्रासंगिक आदेशों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की शासकीय भूमि के अन्य प्रयोजन हेतु हस्तांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण आवेदकों की मांग स्वीकार किया जाना संभव नहीं है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग यह अवलोकन करता है कि संबंधित भूमि 7/12 अभिलेखों में ग्राम पंचायत उत्राण के नाम दर्ज है तथा अन्य राजस्व अभिलेखों के अनुसार शासकीय भूमि के रूप में वर्गीकृत है। साथ ही, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 एवं शासन के प्रासंगिक आदेशों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की शासकीय भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु हस्तांतरण अनुमन्य नहीं है। अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकों की मांग स्वीकार किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएं:

आयोग के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित भूमि शासकीय भूमि है तथा ग्राम पंचायत उत्राण के नाम दर्ज है। चूँकि आवेदकों की मांग विधिक प्रावधानों के अनुरूप स्वीकार्य नहीं है, अतः आयोग में प्रकरण को बंद किया जाता है ।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Antar Singh Arya
Hon'ble Chairperson
भारत / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

....

फाइल सं. NCST/DEV-138/MH/29/2021 RO-BH

दिनांक: 15.06.2026

विषय: श्री एकनाथ रमेश कोली, गांव उत्राण (अ.ह.), तहसील एरंडोल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) - वर्षों से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

मुख्य सचिव

महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मदाम कामा रोड, हुतात्मा, राजगुरू चौराहा,

नरिमन पॉइंट, मुंबई -400032 (महाराष्ट्र)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	रोहनघुगे	कलेक्टर, जलगाव		
2.				
3.				

पुलिस अधीक्षक,

जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश-451551

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2				
3				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				